उत्तर-पूर्व राज्यों में आर्थिक एवं वित्तीय विकास

दीपक मोहंती *

मैं इस अवसर पर गुवाहाटी विश्वविद्यालय को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस प्रतिष्ठित जनसमूह को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया। सप्त भगिनियों की भूमि के रूप में विख्यात यह उत्तर-पूर्व क्षेत्र एक बहुत समृद्ध क्षेत्र है। उत्तर-पूर्व क्षेत्र देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 5.5 प्रतिशत क्षेत्र में फैला है जिसकी आबादी राष्ट्रीय आबादी का 3.9 प्रतिशत है और अखिल भारतीय निवल घरेलू उत्पाद (एनडीपी) में उसकी हिस्सेदारी 2.7 प्रतिशत है। उत्तर-पूर्व क्षेत्र के राज्यों की प्राकृतिक हरीतिमा, भौगोलिक और पारिस्थितिकीय विविधता तथा नाना भांति के निवासी समुदाय इसे एशिया का जातीय एवं भाषायी आधार पर सबसे विविधतापूर्ण क्षेत्र बनाते हैं। इस क्षेत्र के हर राज्य की अपनी एक खास संस्कृति और परंपरा है। आज की सुबह आप लोगों के बीच अपने को पाकर वास्तव में मैं बहुत प्रसन्न हूँ।

किसी देश के स्थायी और दीर्घकालिक आर्थिक विकास में मुख्य भूमिका सुचारू रूप से काम करने वाली वित्तीय प्रणाली की होती है। हालांकि, रिज़र्व बैंक लंबे समय से देश के वित्तीय क्षेत्र के विकास के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा रहा है लेकिन हाल के वर्षों में रिज़र्व बैंक ने हमारे समाज की बेहतरी के लिए उसने औपचारिक वित्तीय क्षेत्र की पैठ और वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के अपने प्रयास तेज किए हैं। उत्तर-पूर्व राज्यों की विशेष कठिनाइयों के मद्देनजर रिज़र्व बैंक इस क्षेत्र में बैंकिंग सुविधाओं की पहुँच बढ़ाने के लिए विशेष पहल कर रहा है। इस पृष्ठभूमि में मैं बहुत संक्षेप में इस क्षेत्र की आर्थिक एवं वित्तीय संरचना का खाका खींचना चाहूँगा। उसके बाद विशेष रूप से उत्तर-पूर्व राज्यों के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा वित्तीय समावेशन की दिशा में की गई तमाम पहलों को रेखांकित करूँगा। निष्कर्ष के रूप में, मैं आगे नीतिगत चुनौतियों पर भी कुछ विचार प्रस्तुत करूँगा।

समष्टि आर्थिक प्रवृत्तियाँ

आइए कुछ समष्टि आर्थिक प्रवृत्तियों से बात शुरू करें। पिछला दशक अखिल भारतीय स्तर पर उच्चस्तरीय आर्थिक विकास का दशक था। इस प्रक्रिया में उत्तर-पूर्व राज्य कहा खड़े हैं ? विकास को ऊँचा उठाने में विभिन्न रूपों में उनकी भागीदारी रही है। वर्ष 2007-08 तक के निवल राज्य घरेलू उत्पाद (एनएसडीपी) के तुलनात्मक आँकड़े उपलब्ध हैं। इन आठ वर्षों अर्थात 2001-08 में उत्तर-पूर्व क्षेत्र राज्यों में भारित औसत एनएसडीपी वृद्धि अखिल भारतीय स्तर के 7.1 प्रतिशत के मुकाबले 5.2 प्रतिशत थी। तथापि, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश तथा त्रिपुरा जैसे तीन राज्यों की वृद्धि को छोड़कर उत्तर-पूर्व क्षेत्र राज्यों के भीतर काफी अंतरराज्यीय भिन्नताएं थीं। उक्त तीन राज्यों में वृद्धि अखिल भारतीय औसत प्रदर्शन से बेहतर थी (सारणी 1)। असम एवं मणिपुर की वृद्धि में कमी का मुख्य कारण इन राज्यों में कृषि और उद्योग के क्षेत्र में खराब प्रदर्शन था। एक तरफ जहाँ असम एवं मिजोरम में कृषि विकास दर विशेष रूप से कम है वहीं दूसरी तरफ नागालैंड में कृषि विकास दर ऊँची रही। इससे निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यदि इस क्षेत्र में राज्य क्षेत्र के अंतर्गत बेहतर क्षेत्रीय वृद्धि को दोहराते हैं तो उत्तर-पूर्व क्षेत्र राज्यों का विकास आसानी से अखिल भारतीय स्तर के विकास को पीछे छोड़ देगा।

उत्तर-पूर्व क्षेत्र राज्यों के क्षेत्रवार विश्लेषण से पता चलता है कि इस क्षेत्र की आर्थिक संरचना न्यूनाधिक रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रतिबिंबित करती है जिसमें सेवा क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों में प्रमुख भूमिका है। तथापि, सकल घरेलू उत्पाद

सारणी 1: औसत वृद्धि दर - 2000-01 से 2007-08

राज्य	कृषि	उद्योग	सेवाएं	कुल (एनएसडीपी)
असम	0.1	5.2	7.0	4.5
अरुणाचल प्रदेश	3.6	13.7	9.1	7.3
मणिपुर	2.6	3.1	5.4	4.3
मिजोरम	0.7	9.1	6.8	5.6
मेघालय	4.3	12.7	6.6	6.8
त्रिपुरा	4.5	10.3	8.4	7.2
नागालैंड	11.0	9.2	6.8	8.2
उत्तर-पूर्व राज्य (सामान्य औसत)	**3.8**	**9.0**	**7.2**	**6.3**
उत्तर-पूर्व राज्य (भारित औसत)	**1.5**	**5.9**	**7.0**	**5.2**
अखिल भारतीय (एनडीपी)	**2.8**	**6.5**	**9.0**	**7.1**

टिप्पणी: नागालैंड के आंकड़े वर्ष 2006-07 तक के हैं।

* भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री दीपक मोहंती ने 24 मार्च 2011 को गुवाहाटी विश्वविद्यालय में अभिभाषण दिया। डॉ. पी के. नायक द्वारा दी गई सहायता के लिए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जाती है।

[1] उत्तर-पूर्वी राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड और त्रिपुरा शामिल हैं।

सारणी 2: औसत क्षेत्रवार हिस्सा - 2000-01 से 2007-08

राज्य	कृषि	उद्योग	सेवाएं
असम	31	13	56
अरुणाचल प्रदेश	28	7	65
मणिपुर	29	8	63
मिजोरम	20	4	77
मेघालय	22	14	64
त्रिपुरा	25	5	70
नागालैंड #	34	3	63
उत्तर-पूर्व राज्य	**27**	**8**	**65**
अखिल भारतीय (एनडीपी)	**22**	**16**	**62**

नागालैंड के आंकड़े वर्ष 2006-07 तक के है।

(जीडीपी) में उद्योग की हिस्सेदारी समग्रतः भारतीय अर्थव्यवस्था में उसकी हिस्सेदारी की आधी थी (सारणी 2)। इसलिए इस क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि को और बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

वृद्धि दरों में काफी अंतर होने के बावजूद उत्तर-पूर्व क्षेत्र राज्यों में वर्ष 2000-01 से 2007-08 के दौरान प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि अंतरराज्यीय स्तर पर काफी अंतर के बावजूद अखिल भारतीय स्तर की लगभग दोगुनी थी (सारणी 3)।

अखिल भारतीय स्तर पर तुलना करने पर देखा गया कि उत्तर-पूर्व क्षेत्र राज्यों में आय का वितरण अखिल भारतीय स्तर के मुकाबले अधिक बराबरी के करीब रहा जो उत्तर-पूर्व क्षेत्र राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के काफी कम गिनी सहगुणांक में परिलक्षित होता है (सारणी 4)।

राजकोषीय प्रवृत्तियां

21वीं सदी के प्रारंभिक दशक में केन्द्र में नियम आधारित राजकोषीय सुदृढ़ता की दिशा में कदम उठाने के बाद राज्यों द्वारा भी राजकोषीय सुधार के ढेर सारे उपाय किए गए थे जिनमें उत्तर-पूर्व क्षेत्र राज्य भी शामिल थे। इसी का नतीजा था कि वर्ष 2003-04 के दौरान उत्तर-पूर्व क्षेत्र राज्यों के राजस्व खातों में सुधार होने लगा और यही वह समय था जब अधिकतर राज्यों के पास अतिरिक्त राजस्व हो गया था। वर्ष 2005-06 तक सभी उत्तर-पूर्व क्षेत्र राज्यों ने अतिरिक्त राजस्व हासिल कर लिया था जो वर्ष 2008-09 तक उनके पास बना रहा। यह सुधार मुख्य रूप से राजस्व व्यय से अधिक राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि के कारण संभव हुआ था। यह नोट किया जाय कि अधिकतर उत्तर-पूर्व क्षेत्र राज्यों द्वारा अपने राजस्व खाते में सुधार हासिल करने के पीछे जो मुख्य घटक जिम्मेदार हैं - वे राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत आने वाले अनुदान तथा कर विनिधान के रूप में केंद्र से चालू अंतरण थे। वर्ष 2004-09 के दौरान कुल संग्रह का 80 प्रतिशत से अधिक चालू अंतरण था जबकि बेहतर राजस्व संग्रह की दिशा में उत्तर-पूर्व क्षेत्र राज्यों के अपने प्रयासों की भूमिका बड़ी सीमित रही। फलस्वरूप, वर्ष 2005-06 के दौरान उत्तर-पूर्व क्षेत्र राज्यों का समेकित जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात बड़ी तेजी से नीचे गिरा (सारणी 5)।

सारणी 3: वास्तविक प्रति व्यक्ति आय $

राज्य	राशि रुपए में		वृद्धि दर
	2000-01	2007-08	(%)*
असम	12,447	15,526	25.7
अरुणाचल प्रदेश	14,726	21,582	46.6
मणिपुर	12,157	15,667	28.9
मेघालय	14,910	21,597	44.8
मिजोरम	16,635	20,688	24.4
नागालैंड	15,699	17,129#	9.1
त्रिपुरा	14,933	22,493	50.6
उत्तर-पूर्व राज्य	**13,129**	**20,655**	**57.3**
अखिल भारतीय (1999-00 आधार)	**17,537**	**22,581**	**28.8**

$ 1999-2000 की कीमतों पर आधारित ।
# आंकड़े वर्ष 2006-07 के हैं।
* 2000-01 की तुलना में 2007-08 ।

सारणी 4: गिनी सहगुणांक - अखिल भारतीय एवं उत्तर-पूर्व राज्य

वर्ष	अखिल भारतीय	उत्तर-पूर्व राज्य	अखिल भारतीय (उत्तर-पूर्व राज्य को छोड़कर)
2000-01	0.2178	0.0662	0.2359
2007-08	0.2454	0.0845	0.2556

जैसा कि घाटे के प्रमुख सूचकों से स्पष्ट है, वर्ष 2009-10 के दौरान राज्य वित्त में काफी गिरावट देखने को मिली। हालांकि वर्ष 2009-10 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में हुई समग्र समष्टि आर्थिक मंदी और संशोधित वेतन ढांचे से उत्पन्न प्रशासनिक व्यय में वृद्धि के चलते राजस्व व्यय में हुई वृद्धि के कारण राज्यों के अपने कर राजस्व तथा कर विनिधान पर हल्का सा प्रभाव पड़ा था। तथापि, परिवहन, जलापूर्ति, सफाई, सिंचाई एवं बाढ-नियंत्रण, शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर अधिक व्यय के लक्ष्य के साथ पूंजी परिव्यय में भी वृद्धि हुई। हालांकि, वर्ष 2010-11 के बजट के दौरान उत्तर-पूर्व क्षेत्र

सारणी 5: उत्तर-पूर्व राज्यों के राजकोषीय संकेतक

(जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में)

वर्ष	सकल राजकोषीय घाटा	राजस्व घाटा	प्राथमिक घाटा	बकाया कर्ज
2001-02	6.0	2.0	2.5	37.3
2002-03	4.2	0.8	0.6	37.9
2003-04	3.6	-0.4	-0.1	42.2
2004-05	4.8	-0.5	1.4	43.1
2005-06	1.3	-3.4	-1.9	43.4
2006-07	-0.1	-5.2	-3.1	40.1
2007-08	0.1	-5.6	-2.6	38.8
2008-09	0.2	-6.5	-2.4	41.1
2009-10 (आरई)	10.5	0.7	7.5	40.3
2010-11 (बीई)	7.5	0.3	4.6	37.8

आरईः संशोधित प्राक्कलन बीईः बजट प्राक्कलन
टिप्पणी: ऋणात्मक (-) चिह्न अधिशेष दर्शाता है ।
स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज ।

सारणी 6: उत्तर-पूर्व राज्यों में बैंकिंग विकास के संकेतक

राज्य	जनसंख्या प्रति शाखा (जून 2010 की स्थिति)	सी-डी अनुपात (प्रतिशत)		औसत वृद्धि (2000-01 से 2009-10)	
		मार्च 2001 के अंत में	मार्च 2010 के अंत में	ऋण	जमा
असम	21,000	32.8	36.1	21.7	19.7
अरुणाचल प्रदेश	15,000	12.7	25.3	34.5	24.4
मणिपुर	34,000	38.9	40.7	23.1	20.7
मेघालय	13,000	23.5	47.3	31.5	22.6
मिजोरम	10,000	16.0	24.4	27.2	19.1
नागालैंड	25,000	13.8	29.9	27.7	19.4
त्रिपुरा	16,000	20.0	25.3	21.1	20.0
उत्तर-पूर्व राज्य	20,000	27.8	33.5	22.5	19.8
अखिल भारतीय	14,000	59.2	73.2	21.9	18.9

के राज्य अपनी राजकोषीय सुदृढ़ता की प्रक्रिया को वापस पटरी पर ले आए। उत्तर-पूर्व क्षेत्र राज्यों के लिए यह महत्त्वपूर्ण है कि वे अपनी राजकोषीय सुदृढ़ता प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए पूंजीगत व्यय पर अधिकाधिक ध्यान रखते हुए अपने व्यय की गुणवत्ता में सुधार लाएं। उत्तर-पूर्व राज्यों के लिए यह भी जरूरी है कि वे अपने कर राजस्व में सुधार करें।

वित्तीय संकेतक

भारत की औपचारिक वित्तीय प्रणाली में सबसे जबरदस्त भूमिका बैंकों की है। तथापि, बैंकिंग के विकास के हिसाब से उत्तर-पूर्व राज्य भारत के दूसरे हिस्सों से पिछड़े हुए हैं। यद्यपि इस क्षेत्र में राज्यों के बीच काफी अंतर है और मिजोरम तथा मेघालय में बेहतर अनुपात है फिर भी अखिल भारतीय औसत की तुलना में उत्तर-पूर्व राज्यों में बैंकिंग की पैठ (प्रति शाखा अधिक औसत जनसंख्या) काफी कम है। मार्च 2010 के अंत में उत्तर-पूर्व राज्यों में ऋण-जमा अनुपात (सी-डी अनुपात) अखिल भारतीय स्तर के 73 प्रतिशत की तुलना में काफी कम 34 प्रतिशत था (सारणी 6)। यद्यपि, पिछले दशक में जमा की तुलना में ऋण में काफी तेज विस्तार हुआ तथापि दोनों में अंतर काफी चौड़ा है।

एनएसडीपी की तुलना में बैंक ऋण से भी आँका जाय तो उत्तर-पूर्व राज्यों में ऋण की पैठ भी अखिल भारतीय स्तर से काफी कम है (चार्ट 1)।

इससे यह प्रश्न उठता है कि क्या इस क्षेत्र में अवशोषक क्षमता की कमी के कारण उत्तर-पूर्व राज्यों में ऋण की पैठ कम है। तथापि, ऐसा प्रतीत नहीं होता क्योंकि इस क्षेत्र में वित्त के अनौपचारिक स्रोतों का ग्रामीण क्षेत्र की वित्तीय गतिविधि में प्रमुख स्थान है। उत्तर-पूर्व क्षेत्र राज्यों में किसानों की घर-गृहस्थी की ऋणग्रस्तता से संबंधित राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) के 59 वें चक्र के आंकड़ों के अनुसार किसानों के द्वारा लिए गए वित्त का 45 प्रतिशत हिस्सा औपचारिक वित्तीय क्षेत्र से लिया गया है जबकि शेष 55 प्रतिशत हिस्सेदारी अनौपचारिक क्षेत्र की है। यह अखिल भारतीय स्तर पर अनौपचारिक क्षेत्र के 42 प्रतिशत हिस्से से काफी अधिक है (चार्ट 2)। इससे यह पता चलता है कि इस क्षेत्र में अवशोषक क्षमता है

चार्ट 1: ऋण की पैठ

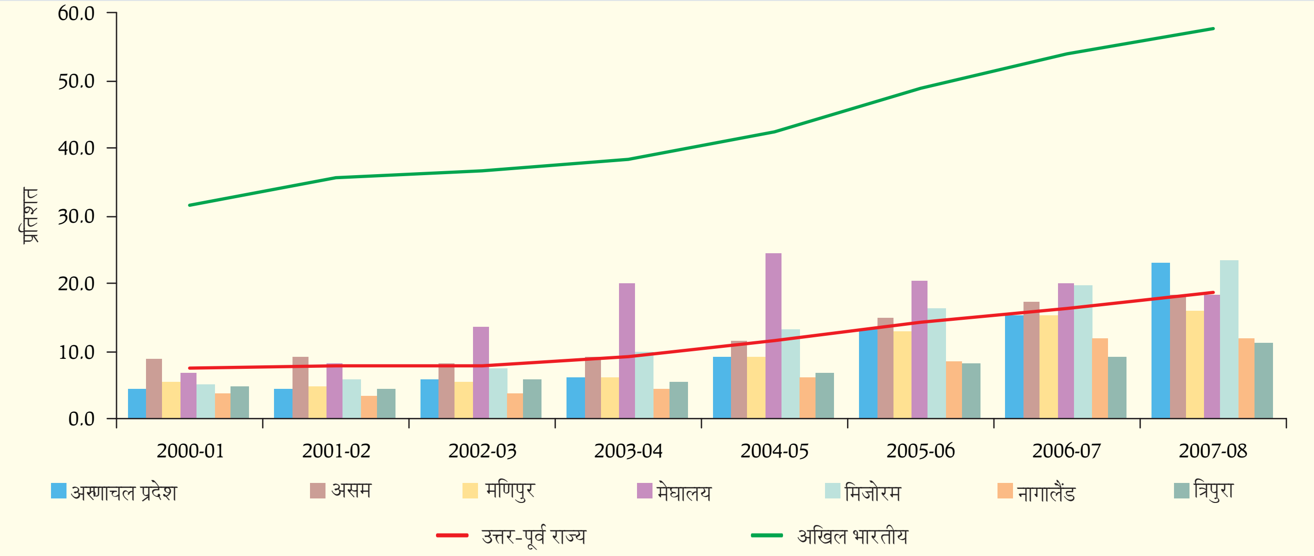

चार्ट 2: वित्त के स्रोत

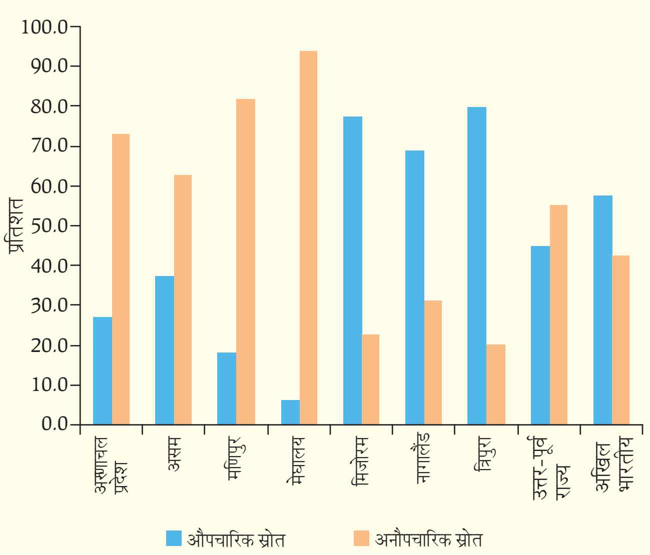

और उत्तर-पूर्व क्षेत्र राज्यों में बैंकिंग सेवाओं की पैठ बढ़ाने का अच्छा-खासा अवसर मौजूद है।

वित्तीय समावेशन के उपाय

समाज के गरीब एवं कम साधन संपन्न तबकों को बैंकिंग सेवाओं के दायरे में लाने और उसके द्वारा समतामूलक विकास प्रारंभ करने तथा उसे कायम रखने में वित्तीय समावेशन का खासा महत्त्व है। आइए, अब वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने की दिशा में रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए तमाम प्रयासों को देखा जाय।

पहला, लंबे समय से रिज़र्व बैंक ने 'प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार' के रूप में एक व्यवस्था स्थापित की है जिसके माध्यम से कुछ प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को ऋण प्रदान किया जाता है जिसमें *अन्य बातों के साथ-साथ* लघु उद्योग, लघु व्यापार तथा कृषि शामिल हैं। आर्थिक सुधारों के बाद के समय में प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को विस्तृत करके उसके अंतर्गत फुटकर व्यापार के अग्रिम, शैक्षिक ऋण, माइक्रो वित्त तथा कम खर्च में गृह निर्माण को भी शामिल कर लिया गया है। इससे वित्तीय समावेशन के मुहिम को आगे बढ़ाने में मदद मिली है।

दूसरा, वित्त मंत्री ने 2010-11 के बजट में घोषणा की थी कि 2000 से अधिक आबादी वाले देश के प्रत्येक गांव में मार्च 2012 तक बैंकिंग सुविधाएं पहुँच जानी चाहिए। इस प्रक्रिया को कार्यान्वित करने के लिए वाणिज्यिक बैंकों ने वित्तीय समावेशन की योजनाएं तैयार की हैं जिन्हें उन्होंने रिज़र्व बैंक के समक्ष प्रस्तुत किया है। चूंकि बहुत छोटे केंद्रों में प्रत्यक्ष शाखाएं खोलना व्यावहारिक नहीं होगा इसलिए कारोबार संपर्की (बीसी) मॉडल तथा संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से इस चुनौती से निपटने का दृष्टिकोण अपनाया गया है। इस मॉडल के अंतर्गत बैंक ऐसे एजेंटों को नियुक्त करते हैं जो बैंक की तरफ से ग्राहकों के घर जाकर उन्हें मूल बैंकिंग सेवाएं मुहैया कराते हैं।

तीसरा, रिज़र्व बैंक ने बैंकों से नो-फ्रिल खाते खोलने के लिए कहा है। इन खातों के लिए कोई न्यूनतम शेष की अपेक्षा नहीं हैं अथवा बहुत कम न्यूनतम अपेक्षा है और इन खातों में ओवरड्राफ्ट के द्वारा छोटे ऋणों के प्रावधान हैं। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे जमाकर्ताओं के लिए यह एक बहुत सुविधाजनक खाता है।

चौथा, किसी आम आदमी के लिए बैंक खाता खोलने में सबसे प्रमुख अड़चन 'अपने ग्राहक को जानिये' (केवाईसी) मानदंड है। इस मानदंड को छोटे खातों अर्थात 50,000 रुपए तक जमा तथा 1 लाख रुपए तक के क्रेडिट के लिए शिथिल कर दिया गया है। ऐसा खाता खोलने के लिए किसी बैंक के मौजूदा खाताधारक द्वारा दिया गया सामान्य परिचय पर्याप्त होना चाहिए। इस संबंध में, देश के प्रत्येक नागरिक को एक अद्वितीय पहचान (आईडी) संख्या देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा चलायी जा रही है अद्वितीय पहचान संख्या (यूआईडी) परियोजना 'आधार' से गरीब तबके को अपनी पहचान स्थापित करने में मदद मिलेगी जिससे वे 'अपने ग्राहक को जानिये' मानदंडों को पूरा कर सकेंगे।

पांचवां, किसान बैंकों से किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) तथा सामान्य उद्देश्यों वाले क्रेडिट कार्डों (जीसीसी) के द्वारा ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

छठाँ, हालांकि तमाम प्रकार की बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध हैं लेकिन एक आम आदमी को हो सकता है इसकी जानकारी न हो। इसलिए वित्तीय साक्षरता विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण हो गई है। तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने 'वित्तीय साक्षरता परियोजना' की शुरूआत की है जिसका उद्देश्य समाज के विभिन्न लक्ष्य समूहों को केंद्रीय बैंक तथा सामान्य बैंकिंग अवधारणाओं के संबंध में सूचना प्रदान करना है। हमारी 'वित्तीय शिक्षा' वेबसाइट लिंक पर सभी उम्र के बच्चों के लिए बैंकिंग वित्त तथा केंद्रीय बैंकिंग की बुनियादी बातें बतायी गयी हैं। हमारी वेबसाइट सहित असमीया 13 भाषाओं में भी उपलब्ध है।

अंत में, यह रिज़र्व बैंक के लिए भी सीखने की एक प्रक्रिया है। हम मानते हैं कि बैंकिंग व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होने के कारण आम आदमी की जरूरतों के प्रति संवेदनशील रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तदनुसार, हमारे गवर्नर डॉ.सुब्बाराव ने हमारे प्लैटिनम जयंती कार्यक्रमों के एक हिस्से के रूप में पिछले साल 'आउटरीच कार्यक्रम' का श्री गणेश किया था। 'आउटरीच कार्यक्रम' के तहत रिज़र्व बैंक का उच्च प्रबंधन तंत्र हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के कम से कम एक गांव का दौरा राज्य सरकार तथा वाणिज्यिक बैंकों के अधिकारियों के साथ इस उद्देश्य से करता है कि वित्तीय समावेशन पर ध्यान केंद्रित

किया जा सके। जमीनी यथार्थ को समझने की दिशा में यह हमारे लिए एक बहुत ज्ञानवर्धक अनुभव रहा है। तदनुसार, हमने इन कार्यक्रमों को जारी रखने का फैसला किया है। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हम असम तथा अरुणाचल प्रदेश में पहले ही अपना आउटरीच शिविर लगा चुके हैं। मेरे इस मौजूदा दौरे के समय मणिपुर, नागालैंड तथा त्रिपुरा में आउटरीच शिविर आयोजित किए गये हैं।

उत्तर-पूर्व राज्यों के लिए वित्तीय समावेशन

हालांकि वित्तीय समावेशन की दिशा में किये जा रहे प्रयासों से उम्मीद है कि उत्तर-पूर्व राज्यों सहित आम तौर पर समूचे देश में बैंकिंग सुविधाओं में सुधार होगा लेकिन मैं उत्तर-पूर्व राज्यों के लिए वित्तीय समावेशन के लिए किये जा रहे कुछ विशेष उपायों पर प्रकाश डालना चाहूँगा।

पहला, रिज़र्व बैंक ने दिसंबर 2009 में शाखा प्राधिकरण नीति को नरम बनाया और वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अलावा) को उत्तर-पूर्व राज्यों तथा सिक्किम के ग्रामीण, अर्द्ध-शहरी एवं शहरी केंद्रों में शाखाएं खोलने की छूट दी गयी जिसके लिये हर मामले में उन्हें रिज़र्व बैंक से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी बशर्ते वे इस बारे में रिज़र्व बैंक को सूचित करते हों।

दूसरा, उत्तर-पूर्व राज्यों में बैंकिंग सुविधाओं की पैठ बढ़ाने के लिए रिज़र्व बैंक ने राज्य सरकारों एवं बैंकों से अनुरोध किया है कि वे ऐसे केंद्रों की पहचान करें जहाँ या तो पूर्ण-विकसित शाखाओं की जरूरत है अथवा ऐसी शाखाओं की जो विदेशी मुद्रा सुविधाएं प्रदान करती हों, सरकारी व्यवसाय संभालती हों या शाखाओं की जरूरत केवल मुद्रा संबंधी आवश्यकताओं का पूरा करने के लिए हो। हमने राज्य सरकारों से इस बात की भी पेशकश की है कि यदि वे परिसर उपलब्ध करा दें तथा सुरक्षा के इंतजाम कर दें तो हम पहले पांच साल तक आवश्यक पूंजी और बैंकिंग सुविधाओं पर होने वाली लागत वहन कर सकते हैं। मेघालय इस सुविधा का लाभ उठाने वाला पहला राज्य था। राज्य में बोली के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र के तीन बैंकों के जिम्मे आठ केंद्र आबंटित किए गये। इसके बावजूद चयनित केंद्रों में उचित आधारभूत ढांचे के अभाव के कारण शाखाएं खोलने की दिशा में होने वाली प्रगति की रफ्तार कम है। त्रिपुरा में, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के जिम्मे दिसंबर 2010 में पांच केंद्र आबंटित किये गये थे। मै समझता हूँ उनमें से दो केंद्रों पर शाखाएं शीघ्र खुलने के आसार हैं। इसी तरह, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड तथा त्रिपुरा में शाखाएं खोलने के लिए केंद्रों की पहचान करने का काम पूरा कर लिया गया है।

नीति के स्तर पर चुनौतियां

आइए ! व्यापक स्तर पर समष्टि आर्थिक नीति पर चर्चा केंद्रित करें। केंद्र तथा राज्य सरकारों दोनों के एजेंडा पर उत्तर-पूर्व राज्यों का विकास सर्वोच्च स्थान पर रहा है। इस क्षेत्र की विशेष जरूरतों तथा सरकारी निवेश के महत्त्वपूर्ण स्तरों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए उत्तर-पूर्व राज्यों को विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा दिया गया है और इन राज्यों को दी जाने वाली केंद्रीय योजना सहायता अहम है। जैसा कि मैंने बताया कि रिज़र्व बैंक ने भी बैंकिंग सुविधाएं फैलाने तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए विशेष उपाय किये हैं। इसके बावजूद, उत्तर-पूर्व राज्यों में विकास की रफ्तार तेज करने की दिशा में मैं आगे आने वाली कुछ चुनौतियों का प्रमुखता से उल्लेख करना चाहूँगा।

पहला, कमजोर बाजार लिंकेज इस क्षेत्र के विकास में प्रमुख कठिनाई है। इस कारण सड़क निर्माण, हवाई संपर्क, दूरसंचार तथा परिवहन एवं संचार के अन्य साधनों को विकसित करने पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल का प्रयोग करके बुनियादी ढांचे में निवेश को बढ़ाया जा सकता है।

दूसरा, स्थायी औद्योगिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए पहल किए जाने की जरूरत है जो इस क्षेत्र की अद्वितीय जैव-विविधता के अनुकूल हो। इस क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योगों, खाद्य प्रसंस्करण, काष्ठ-उत्पादों, पारंपरिक वस्त्र तथा हल्के उत्पादन उद्योगों को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

तीसरा, इस क्षेत्र में कृषि उत्पादकता में वृद्धि करने, बागवानी तथा पुष्पकृषि को चौतरफा बढ़ावा देने की जरूरत है जिसके लिए यहां की कृषि-जलवायु की परिस्थितियाँ बहुत अनुकूल हैं।

चौथा, स्थायी विकास के एक स्थायी प्रारूप से न केवल विकास में और तेजी लाने में मदद मिलेगी बल्कि इससे ऋण-जीएसडीपी अनुपात को कम करते हुए राजकोषीय स्थायित्व में भी सुधार होगा।

पांचवां, साक्षरता के ऊंचे स्तर तथा मानव विकास के स्तर सहित जैव-विविधता इस क्षेत्र में पर्यटन एवं निर्यात के विकास का प्रचुर अवसर प्रदान करती है।

छठा, इस क्षेत्र में अनर्जक आस्तियों का ऊँचा स्तर बैंक उधार की दिशा में एक अवरोधक है। आंशिक रूप से इसकी एक वजह बैंकों द्वारा वित्तपोषित कुछ क्रिया-कलापों की अव्यावहारिकता तथा कर्जदारों के साथ पर्याप्त संपर्क में कमी भी रही है।इसलिए, इस क्षेत्र में ऋण संस्कृति में सुधार लाने की जरूरत है जिसमें वित्तीय शिक्षा एक अहम भूमिका निभा सकती है। इसके अलावा, बैंकों को अपनी शाखाओं में कर्मचारियों की संख्या बढ़ानी होगी और जोर इस बात पर देना होगा कि वे कर्मचारी स्थानीय रीति-रिवाजों तथा प्रथाओं से वाक़िफ हों। उत्तर-पूर्व राज्यों में समुदाय आधारित समाज की प्रधानता को देखते हुए, सामूहिक उधार ऋण-प्रदायगी का एक सफल तरीका हो सकता है। इसलिए बैंकों के साथ अधिक संपर्क वाले स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। इस संबंध में सिडबी तथा संबंधित राज्य

सरकारों की विभिन्न एजेंसियों सहित न केवल स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) को प्रोत्साहित करने अपितु क्षमता-निर्माण में भी नाबार्ड की अहम भूमिका है। एक दूसरा क्षेत्र जिसमें विस्तार की खासी गुंजाइश है वह सस्ता गृह निर्माण है। आवास ऋण की स्थिति उत्तर-पूर्व राज्यों के कई भागों में दृष्टिबंधक न रखे जाने के कारण बहुत खराब रही है फिर भी बैंक समूह ऋण पर अधिकाधिक बल देकर आवास ऋण के लिए नवोन्मेषी ढाँचा खोज सकते हैं।

सातवाँ, वित्तीय विकास की किसी भी योजना में किसी बैंक की शाखा की प्रत्यक्ष रूप में मौजूदगी का महत्त्व होता है। लेकिन क्षेत्र की भौगोलिक संरचना, आबादी का फैलाव, यातायात की कठिनाइयाँ तथा कुछ भागों में कानून-व्यवस्था के हालात कारोबारी केंद्रों की तुलना में शाखा विस्तार को अवरूद्ध करते हैं। अतः इस इलाके में बैंकिंग की पैठ बढ़ाने और वित्तीय समावेशन को बल प्रदान करने के लिए सभी अर्थात बैंकों, राज्य सरकारों एवं रिज़र्व बैंक को मिलजुल कर काम करने की जरूरत है।

निष्कर्षः

अंत में मैं कहना चाहूंगा कि उत्तर-पूर्व क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि इस क्षेत्र में स्थायी और समावेशी विकास की दिशा में काम करने से जुड़े अवसरों तथा चुनौतियों को पहचाना जाय और औपचारिक वित्तीय क्षेत्र की पैठ अधिक बनायी जाये।